न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	157/25	2025/235	23/12/2025	सुकराम बनाम सरकार	13.01.2026	1 लगायत 2

1. सुकराम पुत्र सुरजी जाति माली निवासी जाट बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।

–अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी । –रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी पक्ष की और से :– विद्वान अधिवक्ता श्री रवि कुमार शर्मा
2. रेस्पोडेन्ट पक्ष की और से :– पेरोकार सरकार

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 31/25 में पारित निर्णय दिनांक 17.10.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम जाट बडौदा के आराजी ख0नं0 155 रकबा 0.01 है0 किस्म गै0मु0पाल पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुएं बहस में तर्क दिया कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.10.2025 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होने से [illegible] योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने में भारी कानूनी [illegible] की [illegible] प्रार्थी पश्चात्वर्ती की श्रेणी में नहीं आता है। पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिस[illegible] साबित होता हो कि अपीलार्थी को वास्तविक रूप से भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलार्थी [illegible] पटवार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:05:43 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

हल्का से जिरह का भी कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। ऐसे एकतरफा बयानों पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के विश्वास पर कानूनी भूल की है। प्रार्थी अपीलार्थी का खसरा नम्बर 155 रकबा 0.01 है0 के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा नहीं कर रखा है, ना ही प्रार्थी अपीलार्थी को उक्त आराजी पर कोई अतिक्रमण है, साथ ही विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है, साथ ही अपील अपीलार्थी ने अपनी अपील तथा दौराने बहस कथन किया है कि उक्त वाद आराजीयात पर अपीलार्थी का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार गंगापुर सिटी आदिनांक से दिनांक 31.03.2026 तक प्रत्येक तीन माह में एवं संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक प्रत्येक माह में स्वयं कब्जा जांच करेगा। यदि अपीलान्ट क़ब्जा छोड़ दे तो निर्णय दिनांक 17.10.2025 खारिज कर सजा माफ कर दी जावेगी तथा यदि अपीलान्ट का कब्जा काश्त पाया जाता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.10.2025 यथावत रखा जावेगा। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:05:43 IST
Reason: SelfAttested